न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—262/2016/223 (2016/00262)

1. मु0 खीमी बेवा स्व0 बिरदासिंह,
2. प्रकाश बालिग पुत्र स्व0 बिरदासिंह,
3. नरेन्द्रसिंह पुत्र स्व0 बिरदासिंह,
4. विष्णुसिंह पुत्र बिरदासिंह,

समस्त जाति रावत, निवासी ग्राम गाफा, चरपला, तह0 टाटगढ, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. थानसिंह पुत्र उमसिंह, जाति रावत, निवासी गांव गाफा चरपला, तहसील टाटगढ़, जिला अजमेर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये भू—धाक, तहसीलदार, टाटगढ़, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर दिनांक 6.6.2016 अंतर्गत वाद संख्या 108/2013.

उपस्थितः—

1. श्री ज्ञानचंद गदिया, वकील अपीलांटस।
2. श्री शांतिप्रकाश औझा, वकील रेस्पो0 संख्या 1.
3. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 2.

निर्णय

दिनांकः— 25.10.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर के निर्णय व डिक्री दिनांक 6.6.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 में वादपत्र अंतर्गत धारा 183 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत विरूद्ध अपीलांटस/प्रतिवादीगण के पेश कर निवेदन किया कि ग्राम गाफा पटवार क्षैत्र चरपला भू—अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र खोडमाल, तह0 ब्यावर स्थित खसरा नंबर 941 रकबा 1 बिस्वा 10 बिस्वांसी, खसरा नंबर 942 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 944 रकबा 4 बिस्वा स्थित है । वादी द्वारा पूर्व में एक राजस्व वाद संख्या 15/1987 (64/2005) अजनाम श्रीमती केशी जरिये वारिस थानसिंह बनाम बिरदसिंह व अन्य के नाम से उपरोक्त भूमियों के संबंध में श्रीमती केशी द्वारा द्वारा धारा 53, 88, 188 राज0काश्त0अधि0 के तहत प्रस्तुत किया था । उक्त वाद में श्रीमती केशी के स्थान पर वादी को तथा बिरदासिंह के स्थान पर

प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को रिकार्ड पर बतौर वारिसान लिया गया था। उक्त वाद वादी थानसिंह के पक्ष में दिनांक 27.9.1999 को डिक्री किया गया था और वादग्रस्त आराजियात का बंटवारा हेतु तहरीर जारी करने के आदेश प्रदान किये थे । अधी0न्याया0 द्वारा दिनांक 25.5.2006 को बंटवारे की डिक्री पारित करते हुए नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में नामांतकरण के जरिये वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गया । बंटवारे के अनुसार जो खसरा नंबर वादी के हिस्से में आये उसका कब्जा प्रतिवादीगण से वादी को दिलाया जाना था किन्तु सहवन से विवादितग्रस्त खेत खसरा नंबर 942 रकबा 10 बिस्वा एवं खसरा नंबर 944/1 रकबा 4 बिस्वा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के ही कब्जे में रह गई थी । वादी द्वारा मांग करने पर भी प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 उक्त भूमि का कब्जा नहीं संभला रहे है, तथा दिनांक 20.9.2013 को कब्जा देने से इंकार हो गये । अतः निवेदन है कि प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 के विरूद्ध वाद डिक्री किया जाकर उक्त खसरा नंबर 942 रकबा 10 बिस्वा व खसरा नंबर 944/1 रकबा 4 बिस्वा का कब्जा वादी को प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 से जरिये पुलिस इमदाद दिलवाया जावे । प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 ने अधी0न्याया0 में उपस्थित होकर वाद कथनों से इंकार किया । अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री दिनांक 6.6.2016 द्वारा वादी/रेस्पो0 संख्या 1 का वाद डिक्री कर विवादित आराजियात का कब्जा जरिये पुलिस इमदाद वादी/रेस्पो0 संख्या 1 को दिलवाये जाने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पोडेंटस उपस्थित । अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय न्याय, नियम एवं विधि के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है । प्रश्नगत निर्णय व डिक्री राजस्व लोक अदालत कैम्प बामनहेडा में पारित की गई है जबकि राजस्व लोक अदालत में केवल ामत्र पक्षकारान की सहमति एवं राजीनामा द्वारा ही निर्णित किया जाना बंधनकारी था किन्तु अधी0न्याया0 ने अपने क्षैत्राधिकार से परे जाकर एवं बिना पक्षकारान एवं उनके अभिभाषको सुने निर्णय व डिक्री पारित की है जो निरस्त किये जाने योग्य है । वाद में अधी0न्याया0 द्वारा तनकियात दिनांक 1.7.2014 विरचित की गई थी किन्तु अधी0न्याया0 ने जाब्ता दीवानी के आदेशात्मक प्रावधानों की अवहेलना करते हुए तनकी वाईज निर्णय पारित नही किया है एवं न ही कायम की गई तनकियात का हवाला निर्णय में दिया गया है। विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री दिनांक 6.6.2016 से अपीलांटस को उनके वर्षो पुराने एवं अपने अधिकारों से एवं खरीदशुदा भूमियों से जरिये पुलिस इमदाद बेदखल किये जाने का निर्णय विधिविरूद्ध है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों का विशुद्ध विवेचन विश्लेषण तक नहीं किया जबकि पत्रावली पर साक्ष्य मौजूद थी । अतः अपील अपीलांटस द्वारा कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जावे कि वे पक्षकारान को गुणावगुण पर साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को तनकीवार निर्णित करे।

5. विद्वान वकील रेस्पोडेंट संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । विवादित आराजियात

बाबत् वादी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा पूर्व में एक राजस्व वाद संख्या 15/1987 (64/2005) अजनाम श्रीमती केशी जरिये वारिस थानसिंह बनाम बिरदसिंह व अन्य के नाम से उपरोक्त भूमियों के संबंध में श्रीमती केशी द्वारा द्वारा धारा 53, 88, 188 राज0काश्त0अधि0 के तहत प्रस्तुत किया था । उक्त वाद में श्रीमती केशी के स्थान पर वादी को तथा बिरदासिंह के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को रिकार्ड पर बतौर वारिसान लिया गया था। उक्त वाद वादी थानसिंह के पक्ष में दिनांक 27.9.1999 को डिक्री किया गया था और वादग्रस्त आराजियात का बंटवारा हेतु तहरीर जारी करने के आदेश प्रदान किये थे । अधी0न्याया0 द्वारा दिनांक 25.5.2006 को बंटवारे की डिक्री पारित करते हुए नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में नामांतकरण के जरिये वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गया । बंटवारे के अनुसार जो खसरा नंबर वादी के हिस्से में आये उसका कब्जा प्रतिवादीगण से वादी को दिलाया जाना था किन्तु सहवन से विवादितग्रस्त खेत खसरा नंबर 942 रकबा 10 बिस्वा एवं खसरा नंबर 944/1 रकबा 4 बिस्वा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के ही कब्जे में रह गई थी । रेस्पो0 संख्या 1 विवादित आराजियात के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिस पर अपीलांटस द्वारा जबरन कब्जा करने से अधी0न्याया0 ने जरिये पुलिस इमदाद वादी/रेस्पो0 को कब्जा दिलाने के आदेश पारित किये है जो विधिसम्मत् है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

6. हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पो0 संख्या 1/वादी ने ग्राम गाफा पटवार क्षैत्र चरपला भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र खोडमाल, तह0 ब्यावर स्थित खसरा नंबर 941 रकबा 1 बिस्वा 10 बिस्वांसी, खसरा नंबर 942 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 944 रकबा 4 बिस्वा बाबत् पूर्व में एक राजस्व वाद संख्या 15/1987 (64/2005) अजनाम श्रीमती केशी जरिये वारिस थानसिंह बनाम बिरदसिंह व अन्य के नाम से उपरोक्त भूमियों के संबंध में श्रीमती केशी द्वारा द्वारा धारा 53, 88, 188 राज0काश्त0अधि0 के तहत प्रस्तुत किया था । उक्त वाद में श्रीमती केशी के स्थान पर वादी को तथा बिरदासिंह के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को रिकार्ड पर बतौर वारिसान लिया गया था। उक्त वाद वादी थानसिंह के पक्ष में दिनांक 27.9.1999 को डिक्री किया गया था और वादग्रस्त आराजियात का बंटवारा हेतु तहरीर जारी करने के आदेश प्रदान किये थे । अधी0न्याया0 द्वारा दिनांक 25.5.2006 को बंटवारे की डिक्री पारित करते हुए नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में नामांतकरण के जरिये वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गया । बंटवारे के अनुसार जो खसरा नंबर वादी के हिस्से में आये उसका कब्जा प्रतिवादीगण से वादी को दिलाया जाना था किन्तु सहवन से विवादग्रस्त खेत खसरा नंबर 942 रकबा 10 बिस्वा एवं खसरा नंबर 944/1 रकबा 4 बिस्वा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के ही कब्जे में रह गई थी । उक्त आराजियात का कब्जा वादी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा प्रतिवादीगण/अपीलांटस से मांगे जाने पर प्रतिवादीगण/अपीलांटस द्वारा इंकार किये जाने पर यह वाद प्रस्तुत करना आवश्यक होने का कथन किया है । इस संबंध में अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री दिनांक 25.5.2006 प्रदर्श 2 व 3 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि खसरा नंबर 941, 942, 944/1 थानसिंह की खातेदारी में दर्ज करने एवं खसरा नंबर 939, 940, 944/2 प्रतिवादीगण/अपीलांटस की खातेदारी में दर्ज करने के आदेश पारित किये गये थे । यह निर्णय व डिक्री दिनांक 25.5.2006 को उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त किये जाने के संबंध में अपीलांटस द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया

है । अधी0न्याया0 ने पूर्व में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.5.2006 की पालना में वादी/रेस्पो0 संख्या 1 को विवादित आराजियात का कब्जा काश्त जरिये पुलिस इमदाद दिलाये जाने के आदेश पारित किये है जो विधिसम्मत् है । विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विवेचन, विश्लेषण उपरांत अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री यथावत् रखे जाने योग्य पायी जाती है ।

7. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कल्क्टर, ब्यावर द्वारा पारित आदेश दिनांक 6.6.2016 को यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 25.10.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर